पत्रावली निरीक्षण का सिस्टम

प्राधिकरण की पत्रावलियों को विभिन्न चरणों में नागरिकों के समक्ष निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराये जा का प्रस्ताव निम्नवत् हैः-

- प्रथम चरण में आम आवंटियों को अपने आवंटन पत्र अभिलेख व आवंटन से सम्बन्धित पत्रावली व निरीक्षण अनुमन्य किया जायेगा।
- आवंटी चाहे औद्योगिक, संस्थागत, व्यवसायिक अथवा आवासीय के हो, उनका आवंटन किसी भी विभा से सम्बन्धित हो उनके प्रार्थना पत्र पर व यह प्रमाण प्रस्तुत करने पर कि वे उक्त भूखण्ड के आवंटी हैं उन दिखाया जा सकता है।
- प्रार्थना पत्र निरीक्षण हेतु भू-तल पर स्थित C.R. Cell में प्रतिदिन प्रातः १०.०० बजे से ११.३० बजे तव प्राप्त किया जायेगा।
- उक्त समय में प्राप्त समस्त प्रार्थना पत्रों को सम्बन्धित उप-प्रबन्धक अथवा महाप्रबन्धक को इण्टरनल मेल से कम्प्यूटर द्वारा प्रेषित कया जोयगा।
- Requisition पत्र के अनुसार पत्रावली को एकत्र कर संबंधित उप प्रबन्धक अथवा महाप्रबन्धक जिसे भ विभागाध्यक्ष द्वारा निमित किया जाता है। C.R. Cell को भेजा जायेगा।
- पत्रावलियों को C.R. Cell तक ले जाने और निरीक्षण करके वापस लाने का कार्य संबंधित महाप्रबन्धव अपने स्तर से सहायक को नामित कर देंगे।
- नामित सहायक का यह उत्तरदायित्व होगा कि मांग-पत्र के अनुसार पत्रावलियां ३.०० बजे तक C.R Cell मे लेकर उपस्थित हो। ३.०० बजे से ४.०० बजे तक उस दिन की प्राप्त सुबह के प्रार्थना पत्रों व अनुसार पत्रावली का निरीक्षण प्रार्थी को करवा दिया जाये।
- इस हेतु एक पृथक transparent encl.- होगा ताकि किसी तरह का पत्रावलियों के कागज के साथ छेड़ छाड़ न हो सके।
- इस चरण को शुरू करने से पूर्व यह आवश्यक है कि समस्त विभागध्यक्ष उनके अधीन पत्रावलियों प नम्बरिगं अपने स्तर से सत्यापित करा लें व समस्त पत्रावलियों को रजिस्टर में अध्यावदिक कर पत्रावलिय में उपलब्ध कागजात की संख्या भी आंकित कर अपने स्तर से सत्यापित कर लें। यह इसलिए आवश्यक कि निरीक्षण के आधार पर प्रतिकूल ढ़ंग से पत्रावलियों के उपयोग न किया जाये।
- इस प्रक्रिया के पश्चात यदि किसी तरह की भी कमी पत्रावली में निरीक्षण के उपरान्त पायी जाती है त सम्बन्धित सहायक का उत्तरदायित्व ठहराया जायेगा।
- निरीक्षण उपरान्त समस्त पत्रावलियों को सूची अनसार उप-प्रबन्धक से सत्यापित कर पत्रावली को कार्याल में सहायक द्वारा उपलब्ध करा दिया जाये।
- दूसरे चरण में प्रार्थी को नकल देने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।
- वर्तमान स्थिति में निरीक्षण हेतु कोई शुल्क लिया जाना उचित नहीं होगा।